

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 01, शुक्रवार, शके 1948- मई 22, 2026 Jyaistha 01, Friday, Saka 1948- May 22, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2026

(जविप्रा की धारा 25(4) देखें।)

संख्या ()जविप्रा/जोन-06/2026/रा.का.00797/डी-194 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित म्युचुअल हाउसिंग कापरेटिव सोसायटी लिमिटेड की योजना 15 ए शिव नगर के आवासीय भूखण्ड संख्या 249 व 250 (पुर्नगठित) कुल क्षेत्रफल 454.62 व.ग. भूमि, जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार (आवासीय) मास्टर विकास योजना 2025/जोनल विकास योजना 11बी-5 के अनुसार मिश्रित उपयोग दर्शाया गया है, का आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित किये जाने बाबत अधिसूचना दिनांक 17.07.2025 द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जविप्रा क्षेत्र में स्थित म्युचुअल हाउसिंग कापरेटिव सोसायटी लिमिटेड की योजना 15 ए शिव नगर के आवासीय भूखण्ड संख्या 249 व 250 (पुर्नगठित) कुल क्षेत्रफल 454.62 व.ग. भूमि जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल विकास योजना 11बी-5 के अनुसार मिश्रित दर्शाया गया है, का भू-उपयोग उपान्तरण मिश्रित प्रयोजनार्थ किया जाता है। यह अधिसूचना आज दिनांक 10.02.2026 को जारी की गई है।

भाग चन्द बधाल,
सचिव।